उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिनांक 04.12.99 को सम्पन्न हुई वर्ष–1999 की 175वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 04.12.99 को बैठक प्रारम्भ हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:–

1–	श्री महेश दत्त शर्मा,	अध्यक्ष
2–	श्री एन0 रवि शंकर आवास आयुक्त	सदस्य
3–	श्री आर0 ए0 प्रसाद विशेष सचिव, (प्रतिनिधि सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग) उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
4–	श्रीमती माया जगदीश, उप सचिव, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास) उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य
5–	श्री एच0 सी0 पी0 श्रीवास्तव मुख्य अभियन्ता (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) उ0प्र0 जल निगम	सदस्य
6–	श्री एम0 पी0 अनेजा, मुख्यनगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
7–	श्री नरेन्द्र कुमार शंगारी उप निदेशक, (प्रतिनिधि निदेशक सी0बी0आर0आई0) रूड़की	सदस्य
8–	श्री एस0 के0 वर्मा मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

विशेष आमंत्री के रूप में:–

1–	श्री सुबोध शंकर मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2–	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी वित्त नियंत्रक उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

NRS.

बैठक में विचार विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :-

क्रमांक	विषय	निर्णय
1.	2.	3.
1-	परिषद की 174वीं बैठक दिनांक 14.10.99 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	पुष्टि की गयी
2-	परिषद की 174वीं बैठक दिनांक 14.10.99 की अनुपालना आख्या ।	अवलोकित । निर्णय लिया गया कि पिछले 2 वर्षों की बैठकों में लिए गये ऐसे निर्णयों, जिसके अनुपालन अभी तक नहीं किए गये हैं, का विवरण परिषद के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाये । अगली बैठक के एजेण्डा आईटम में इसे मद संख्या 3 पर रखा जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि नीति विषयक प्रकरणों की संकलन पुस्तिका बनवा कर परिषद की बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
3-	रू0 6500-10,500 तक के वेतनमान पाने वाले परिषद कार्मिकों को वर्ष 98-99 हेतु अनुग्रह धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में ।	अनुग्रह धनराशि के भुगतान सम्बन्धी आदेश चूँकि निर्गत किये जा चुके हैं, अतः परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी । किन्तु सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि श्री आर0ए0 प्रसाद द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए यह अवगत कराया गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1576/44-2/95-20/90 दिनांक 16.11.95 निगमों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रभावी है । अतः उसी के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए ।
4-	परिषद में पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में ।	अवलोकित । यह भी निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक उद्यम विभाग इस व्यवस्था के सम्बन्ध में परीक्षण करके अपने अभिमत से परिषद को अवगत करायेगा ।
5-	वास्तुविद सहायक ग्रेड-2 को प्रोन्नति वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में ।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि यह सुविधा विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप ही दी जायेगी तथा वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करेगें, कि शासनादेश का अनुपालन हो ।

6- स्व0 श्री टी0एन0रावत, सहायक श्रेणी-द्वितीय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

अनुमोदित ।

7- परिषद अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा गठित विभिन्न सेवा संघों पर उत्तर प्रदेश सेवा संघों को मान्यता नियमावली 1979 लागू किये जाने के सम्बन्ध में

विनियमावली की प्रति उपलब्ध न किये जाने के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया ।

8- परिषद के सम्पत्ति प्रबन्धक /सहायक लेखाधिकारी संवर्ग को शासनादेश दिनांक 5.2.97 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सेलेक्शनग्रेड/ प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।

इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि यह सुविधा विद्यमान शासनादेशों के अनुरूप ही दी जायेगी तथा वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिचित करेगें, कि शासनादेश का अनुपालन हो ।

9- सहायक आवास आयुक्त वेतनमान रू0 8000-13,500 के दो पदों को उप आवास आयुक्त वेतनमान रू0 10,000-15,200 में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

संवर्गो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में बहुगुणा कमेटी की रिर्पोट का अध्ययन करने के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया ।इस उप समिति के निम्नलिखित सदस्य होगें :-

1- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

2- श्री एम0पी0 अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश

3- श्री एच0सी0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता, जल निगम

उक्त समिति अध्ययन के उपरांत अपनी रिर्पोट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी ।

10- फेरोव्याय वेतनमान रू0 750-940 के पदों को समाप्त करते हुए नीलमुद्रक पदनाम देते हुए वेतनमान रू0 775-1067 के वेतनमान में पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में ।

श्री आर0ए0 प्रसाद, विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि यह प्रकरण विद्यमान शासनादेशों से अच्छादित नहीं है तथा इस प्रकार की सुविधा की मांग अन्य संवर्गो द्वारा भी की जा सकती है । अतः स्थिति का पूरा आंकलन करके प्रकरण शासन को सन्दर्भित

72

		लिया जाये
1–	परिषद के कार्यप्रभारित कर्मचारियों को परिषद में उनकी तैनाती तिथि को आधार मानते हुए सेलेक्शनग्रेड/ प्रोन्नति वेतनमान दिए जाने के सम्बन्ध में	श्री आर0ए0प्रसाद, विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि यह प्रकरण विद्यमान शासनादेशों से अच्छादित नहीं है तथा इस प्रकार की सुविधा की मांग अन्य संवर्गों द्वारा भी की जा सकती है । अतः स्थिति का पूरा आंकलन करके प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाये ।
2–	परिषद में कार्यरत मस्टररोल श्रमिकों को कार्य–प्रभारित अधिष्ठान में समस्त श्रेणियों के रिक्त पदों के विरूद्ध न्यूनतम् वेतनमान रू0 2550–3200 में अनियमित कार्यप्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्ति विषयक व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	निर्णय लिया गया कि परिषद की पूर्व प्रथा के अनुसार कार्यवाही की जाये ।
3–	योजना संख्या –1, कानपुर के सेक्टर–जी व एच में निर्माणाधीन 68/142 प्रकार के 52 नग भवनों की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	श्री अनेजा, मुख्यनगर एवं ग्राम्य नियोजक द्वारा यह इंगित किया गया कि प्रायः कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात इस प्रकार की स्वीकृति के प्रस्ताव परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं, जो उचित नहीं है । इस निर्देश के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि भविष्य में यथा सम्भव प्रशासनिक / वित्तीय स्वीकृति समय से प्राप्त कर ली जाय ।
4–	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, केन्द्रीय कर्मचारी / अर्द्धसरकारी / निगम/ उपक्रम के कर्मचारी/ अधिकारियों को अनिर्माण शुल्क में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में	सेवानिवृत्त कर्मियों को अनिर्माण शुल्क में छूट के प्रस्ताव के अनुमोदन के साथ यह भी निर्णय लिया गया कि जिन कर्मचारियों को 50% की छूट अनुमन्य थी, उन्हें भी शत–प्रतिशत का लाभ दिया जाये
5–	परिषद की राजाजी पुरम् योजना, लखनऊ में स्थिति उच्च आय वर्ग भवन संख्या सी–1869 के विरूद्ध निर्माण मूल्य पर आरोपित दण्ड व्याज की धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में	राष्ट्रीय चैम्पियन (पावर लिफ्टिंग) के विन्दु का परीक्षण करके आवास आयुक्त को प्रकरण में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया ।

16-	वृन्दावन योजना संख्या-2 में डिफेंस सहकारी आवास समिति की भूमि के सम्बन्ध में ।	स्थगित किया गया ।
17-	परिषद कर्मियों को देय ग्रेच्युटी की धनराशि की सीमा में वृद्धि करने विषयक ।	अनुमोदित ।
18-	श्री सरखूराम, प्रशिक्षित बिजली मिस्त्री वेतनमान रू0 975-1660 को सेलेक्शनग्रेड/ प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में ।	नियमानुसार निस्तारण का निर्णय लिया गया ।
19-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधीक्षण अभियंता सेवा विनियमावली 1977 अधीक्षण अभियंता, विद्युत/ यांत्रिक पर भी लागू होने के सम्बन्ध में ।	स्थगित किया गया ।
20-	परिषद कर्मचारियों को पूर्व की भाँति अवकाश नकदीकरण की धनराशि नकद भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
21-	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची ।	अवलोकित ।
22-	वृन्दावन योजना संख्या-2, भाग-1, लखनऊ में आश्रयहीन योजना के अन्तर्गत 380 नग 15/25 प्रकार के फिनिश्ड भवनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ।	अनुमोदित ।
23-	जनपद लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र में रायबरेली राजमार्ग पर वृन्दावन उप नगरी के नियोजित विकास हेतु हड़कों से कंसलटेंसी सर्विस लिए जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
24-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के आश्रितों (पत्नी, माता, पिता) को नि:शुल्क एक भवन देने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित । यह भी निर्णय लिया गया कि कारगिल युद्ध में यदि अन्य कोई सैनिक (लखनऊ निवासी) शहीद हुए हैं तो इस सुविधा का लाभ उनके आश्रितों को भी देने पर विचार किया जाये
25-	त्रिशूल भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-8, बरेली की धारा -28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	इस अभियुक्ति के साथ अनुमोदित कि भविष्य में प्रस्तुत टिप्पणी में भू-प्रयोग (लैंड यूज) के उल्लेख के साथ ही नक्शा भी संलग्न किया जाये ।
26-	रिंग रोड़ योजना संख्या-1, मुजफ्फरनगर के नामकरण के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।

NRS.

27-	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजना संख्या-1 व 2 कानपुर, तुलसीपुर योजना, वाराणसी एवं योजना संख्या -7 मेरठ में परिषद की भूमि पर हुए अनाधिकृत निर्माण को हटाने/समायोजित/ विनियमितीकरण के सम्बन्ध में ।	आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया । इस समिति के अन्य सदस्य श्री आर0ए0 प्रसाद, विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा श्री एच0सी0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, जलनिगम होगे । संयुक्त आवास आयुक्त भूमि अध्याप्ति इस समिति के संयोजक होगे । समिति अध्ययन के उपरांत अपनी रिपोर्ट परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी ।
28-	इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम इस्माइलगंज के खसरा संख्या 101 व 102 की भूमि के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
29-	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, हरदोई रोड़ शाहजहाँपुर क्षेत्रफल 70 एकड़ अनुमानित लागत 1247 लाख ।	अनुमोदित ।
30-	इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के अन्तर्गत समाविष्ट ग्राम-बस्तौली खसरा संख्या 93/19 लीलानन्द जोशी की भूमि के सम्बन्ध में ।	प्रस्ताव वापस लिया गया ।
31-	परिषद की योजनाओं में व्यक्तिगत/संस्थाओं / सहकारी आवास समितियों की भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन-निर्देश ।	आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया । इस समिति के अन्य सदस्य श्री आर0ए0प्रसाद, विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा श्री एच0सी0पी0 श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, जल निगम होगे । संयुक्त आवास आयुक्त, भूमि अध्याप्ति इस समिति के संयोजक होगे ।
32-	शारीरिक रूप से आशक्त व्यक्तियों (th Disabilities) को सुविधाएं प्रदान करने हेतु जारी मानक भवन उपविधि को परिषद उपविधियों में समाविष्ट कर लागू कराये जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
33-	वास्तुकला एवं नियोजन परामर्श कोष्ठ का गठन ।	इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित कि जिन क्षेत्रों में परिषद के पास विशिष्टियाँ उपलब्ध हैं, उन्हीं मे परामर्श दिया जायेगा तथा किसी बाहरी एजेंसी का कोई सहयोग नहीं लिया जायेगा । इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के कार्य हेतु किसी प्रकार की अतिरिक्त वित्तीय अथवा प्रशासनिक सुविधा परिषद द्वारा देय

नहीं होगी ।

34–	कबीर नगर योजना, वाराणसी में स्थित बहुखण्डीय आवासीय भवन संख्या 3/3 में किये गये अनाधिकृत निर्माण की कन्फाउण्डिंग के सम्बन्ध में ।	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, मुख्य अभियंता व मुख्य वास्तुविद नियोजक की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया । यह समिति सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए इस सम्बन्ध में एक नीति बनाकर परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ रखेगी ।
35–	वर्ष 95–96 की बैलेंसशीट हेतु परिषद की व्याख्यात्मक टिप्पणी ।	अनुमोदित । सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा इस प्रयास की सराहना की गयी ।
36–	बसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–17 में निर्मित एफ 62 प्रकार के 410 एवं एफ–66 प्रकार के 345 नग फ्लैट्स के मूल्यांकन के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श के दौरान मुख्य अभियंता द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रस्तावित मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक भवन की कीमत लगभग रू0 20,000.00 कम हो जायेगी तथा सभी भवनों को मिलाते हुए लगभग रू0 1.5 करोड़ का वित्तीय उपासय निहित है। निर्णय लिया गया कि नवम्बर–92 से मार्च–97 तक जिस अवधि के लिए कार्य रोका गया, ब्याज का अधिभार मूल्यांकन में शामिल न किया जाये तथा रू0 20,000/= प्रति भवन की क्षतिपूर्ति इसी योजना के अन्य सम्पत्तियों से की जाये तथा इस प्रकरण को भविष्य के लिए दृष्टांत न माना जाये ।
37–	राजाजी पुरम् योजना, लखनऊ में सिटी माण्टेसरी संस्था को 32000 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर 20294 वर्गमीटर भूमि शासनादेश दिनांक 11.11.86 में निहित प्राविधानों के अनुसार दिए जाने के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
38–	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कर्मचारी सहकारी आवास समिति लि0 गाजियाबाद को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित । यह भी निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर आवंटियों की सूची अगली बैठक में उपलब्ध करायी जाये ।

39-	शताब्दी नगर आवास योजना, झूंसी, इलाहाबाद की धारा-28 का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	अनुमोदित ।
40-	परिषद द्वारा संचालित भूमि अध्याप्ति योजनाओं की अध्यावधिक स्थिति एवं प्रस्तावित नयी योजनाओं का विवरण ।	स्थगित किया गया । यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में भूमि अर्जन से संबंधित मामलों को एजेण्डा के भाग-3 में प्रस्तुत किया जाये ।

पुष्टि की गयी

महेशदत्त शर्मा

अध्यक्ष